न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

GCMS No.2021/291 (Bank Case)

Manual no- 135/2021

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड" 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जरिये अधिकृत अधिकार श्री सचिन शर्मा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. गुप्ता मैस एण्ड टिफिन सेन्टर प्रोपराइटर अभिमन्यु गुप्ता **(ऋणी/बंधककर्ता)**
   पता– मं. नं. 2–च–26, विज्ञान नगर, जिला कोटा राजस्थान
   अन्य पता– प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दादाबाडी, कोटा (राज.)
2. श्री अभिमन्यु गुप्ता पुत्र श्री लाल चन्द्र गुप्ता **(सहऋणी)**
   पता– मं. नं. 2–च–26, विज्ञान नगर, जिला कोटा राजस्थान
   अन्य पता– प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दादाबाडी, कोटा (राज.)
3. लालचन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता
   पता– प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दादाबाडी, कोटा (राज.)
4. विक्रम कुमार पुत्र श्री लाल चंद गुप्ता
   पता– प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दादाबाडी, कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30.5.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड" 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 27.02.2020 को 84,00,000/– (अक्षरे चोरासी लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **लालचन्द गुप्ता व विक्रम कुमार की बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर योजना, दादाबाडी, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 484.2 वर्ग फीट है। जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 02.6.2016 से श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र लक्ष्मीप्रसाद जी व श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद जी के नाम है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में – प्लॉट नं. 92, पश्चिम में– प्लॉट नं. 94, उत्तर में– गली 3 मीटर चौडी, दक्षिण में– रोड,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 86,02,835.13/– (अक्षरे छियासी लाख, दो हजार आठ सौ पेतीस रूपये व तेरह पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.04.2021 तक शेष देय है व दिनांक 15.04.2021 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 26.05.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 26.05.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 03.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवक में दिनांक 26.05.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **लालचन्द गुप्ता व विक्रम कुमार की बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 93, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर योजना, दादाबाडी, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 484.2 वर्ग फीट है। जो जर्ये विकय पत्र दिनांक 02.6.2016 से श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र लक्ष्मीप्रसाद जी व श्री विकम कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद जी के नाम है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में – प्लॉट नं. 92, पश्चिम में– प्लॉट नं. 94, उत्तर में– गली 3 मीटर चौडी, दक्षिण में– रोड,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.5.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)